



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257959
CG-DL-E-16102024-257959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4181]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 4181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024

(आय-कर)

का.आ. 4545(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206ग की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए किसी संदाय पर उक्त अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1च) के अधीन कोई कर संग्रहण नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं.115/2024/फा. सं. 370142/21/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

(INCOME-TAX)

S.O. 4545(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 206C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that no collection of tax shall be made under sub-section (1F) of section 206C of the said Act on any payment received from the Reserve Bank of India.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 115/2024/F. No. 370142/21/2024-TPL]

KHUSHBOO LATHER, Under Secy.